रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 466]	नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 3, 2015/फाल्गुन 12, 1936
No. 466]	NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 3, 2015/PHALGUNA 12, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2015

का.आ. 641(अ).—जबकि, बीओटी आधार पर विकास अनुरक्षण के लिए रारा-6 (नया रारा-53) के किमी 281.000 से किमी 307.600 तक (जो इसके आगे "कथित खंड" के रूप में उल्लिखित है) 4 लेन बनाने के कार्य के लिए मै. डीएससी – बीआईसीओएन वेंचर्स प्रा. लि. के साथ 08.05.2003 को रियायत करार (जो इसके आगे "करार" के रूप में उल्लिखित है) पर हस्ताक्षर किए गए थे।

और जबकि, उक्त करार की रियायत अवधि 02.03.2015 को समाप्त हो गई।

अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 जो सा. का. नि. 838(अ), दिनांक 05.12.2008 को प्रकाशित किए गए थे, के नियम 3 और अब तक इसके संशोधनों के साथ पठित (जो इसके आगे "उक्त नियमों" के रूप में उल्लिखित हैं) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त खंड पर प्रयोक्ता शुल्क मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय राजमार्ग), राज्य लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार (जो इसके आगे "प्राधिकरण" के रूप में उल्लिखित है) अथवा उसके प्राधिकृत कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा नीचे दी गई अनुसूची की उक्त नियमावली के नियम 6 के उप-नियम 6 (ख) जिसके अनुसार दरों की गणना रियायत अवधि के समाप्त होने के पश्चात्, मौजूदा फीस की 40% की दर से की जाएगी, के अनुसरण में 03.03.2015 से उद्ग्रहीत और संग्रहीत किया जाएगा और इसके पश्चात् उक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसरण में वार्षिक रूप से संशोधित की जाएगी।

तालिका-1

वाहन का प्रकार	**प्रति फेरा प्रति वाहन वसूल की जाने वाली फीस की धनराशि (रु.)**
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	10
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	15
बस या ट्रक (दो धुरी)	30
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	30
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (4 से 6 धुरी)	70
विशाल आकार के वाहन (7 या अधिक धुरी)	70

1. राष्ट्रीय राजमार्ग - 6 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग – 53) के किमी 281.000 से किमी 307.600 तक 4 लेन वाले खंड के लिए निम्नलिखित दो पथकर प्लाजाओं में से किसी पर भी देय और भुगतान योग्य शुल्क उद्ग्रहीत और संग्रहीत किया जाएगा:-

पथकर प्लाजा (चैनेज) की अवस्थिति
1. किमी 285/2 (गांव कुह्मेरी, जिला दुर्ग के निकट)
2. किमी 307/4 (कोसा नाला नेहरू नगर, जिला दुर्ग के निकट)

2. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से बीस किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2014-15 के लिए 225.00 रु. (दो सौ पच्चीस रुपए मात्र) है और यह राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक वर्ष संशोधन के अध्यधीन है।

3. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात् —

भुगतान योग्य धनराशि	**अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या**	**वैधता की अवधि**
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास के लिए भुगतान योग्य फीस की राशि का दो तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीना

4. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

5. नियमावली के अंतर्गत किसी भी श्रेणी के यांत्रिक वाहन जो विनिर्दिष्ट अनुमत्य भार से अधिक भार से लदा हो, को जब तक पथकर प्लाजा को पार करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के उपयोग की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से अतिभार हटा नहीं लिया जाता। ऐसे अतिभार लदे यांत्रिक वाहन के चालक अथवा स्वामी अथवा प्रभारी व्यक्ति को राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए पथकर संग्रहण एजेंसी को नियमावली के अंतर्गत उस श्रेणी के यांत्रिक वाहनों के लिए लागू फीस की दस गुना के बराबर फीस का भुगतान करना होगा।

6. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुमत्य भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि कथित नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी ।

7. फीस की दरें कथित नियमावली के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी ।

8. तालिका-1 में उल्लिखित प्रयोक्ता शुल्क की वास्तविक राशि को प्रत्येक अंग्रेजी और देशी भाषा में कम से कम एक समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जाएगा और तत्पश्चात् उक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसरण में वार्षिक रूप से संशोधित और प्रकाशित कराया जाएगा ।

[फा. सं. 12037/10/2015/सीजी/पी-5]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 2015

S.O. 641(E).—Whereas the Concession Agreement for the work of four laning from Km. 281.000 to 307.600 of NH-6 (New NH-53) (hereinafter referred to as "said section") was signed with M/s DSC-VICON Ventures Pvt. Ltd. on 08.05.2003 (hereinafter referred to as said "agreement") for the development maintenance of the said section on BOT basis.

And, whereas the concession period of the said Agreement will end on 02.03.2015.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide GSR 838 (E) dated 05.12.2008 and its amendments till date (hereinafter referred to as "said rules"), the Central Government hereby notifies that there shall be levied and collected fee on the said section and authorizes Chief Engineer (NH), State PWD, Government of Chhattisgarh (hereinafter referred to as "Authority") or his authorized legal representative to collect the fee from 03.03.2015 in accordance with sub-rule 6(b) of rule 6 of the said rules according to which the rate of fee shall be 40% of the rate of existing fee after the concession period is over, as per the Schedule below and thereafter to be revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules.

TABLE 1

Type of vehicle	**Amount of fee to be charged per vehicle per trip (Rs.)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	10
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	15
Bus or Truck (Two Axles)	30
Three-axle commercial vehicles	30
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	70
Oversized Vehicles (seven or more axles)	70

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at either of the following two Toll Plazas for the four laned stretch from Km 281.000 to Km 307.600 of NH-6 (New NH-53).

Location of Toll Plaza (chainage)
1. Km 285/2 (near Kumhari Village, District Durg).
2. Km 307/4 (near Kosa Nala Nehru Nagar, District Durg).

2. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 225.00 (Rupees Two Hundred Twenty Five only) for the year 2014-15 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 as amended.

3. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely,—

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty	Fifty	One month from date of payment

4. Fee for commercial vehicles (excluding vehicles plying under National Permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

5. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall not be permitted to use the National Highway for crossing the Toll Plaza unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle. The driver or owner or a person in charge of such overloaded mechanical vehicles shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the Toll Collecting Agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of the mechanical vehicles under the Rules.

6. All definitions, category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said Rules.

8. The actual amount of user fee mentioned in Table-1 above shall be got published by the Authority in at least one newspaper, each in English and vernacular language and thereafter revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and shall be got published.

[F. No. 12037/10/2015/CG/P-5]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.